संख्या-82/2021/611/71-1-2021-जी-13/2018टी0सी0-3

प्रेषक,

एस0पी0 सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनॉक 13 अप्रैल, 2021**

विषय:- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा- कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झॉसी, अम्बेडकरनगर, बॉदा, बदॉयू, जालौन, सहारनपुर, कन्नौज एवं आजमगढ़ में कोविड-19 महामारी की रोकथाम व प्रबन्धन हेतु उपकरणों के क्रय हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2021/36, दिनांक 11.04.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा प्रदेश के 13 मेडिकल कालेजों हेतु कोविड-19 महामारी की रोकथाम व प्रबन्धन हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में मानक मद-26-मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 440.00 लाख अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज यथा- कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झॉसी, अम्बेडकरनगर, बॉदा, बदॉयू, जालौन, सहारनपुर, कन्नौज एवं आजमगढ़ में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम व प्रबन्धन व उससे प्रभावित व्यक्तियों के उपचार हेतु मुख्य रूप से बाईपैप, एच0एफ0एन0सी0, अल्ट्रासाउण्ड मशीन, डिजिटल एक्सरे सी0आर0, डीफ्रिवलेटर, 05 पैरा मॉनीटर व पलस आक्सीमीटर उपकरण के क्रय हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत उक्त मेडिकल कालेजों के मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार कुल **रू0 440.00 (रूपये चार करोड़ चालीस लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	राजकीय मेडिकल कालेज का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	कानपुर	490.00	50.00
2	प्रयागराज	290.00	50.00
3	गोरखपुर	588.00	50.00
4	आगरा	480.00	50.00
5	मेरठ	290.00	50.00
6	झॉसी	290.00	50.00
7	अम्बेडकरनगर	200.00	20.00
8	बॉदा	200.00	20.00
9	बदायूँ	200.00	20.00
10	जालौन	200.00	20.00
11	सहारनपुर	200.00	20.00
12	कन्नौज	200.00	20.00
13	आजमगढ़	200.00	20.00
	योग-		**440.00**

1. उपर्युक्तानुसार धनराशि इस आशय से स्वीकृत की जा रही है कि इस हेतु वर्तमान में बजट प्राविधान उपलब्ध है, अत: स्वीकृत धनराशि एवं बजट की उपलब्धता के परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तावित उपकरणों का क्रय प्राथमिकता निर्धारित कर किया जायेगा। किसी भी दशा में बजट प्राविधान से अधिक व्यय एवं क्रय की कार्यवाही अनुमन्य नही होगी।
2. विद्यमान वित्तीय नियमों व प्राविधानों का पालन करते हुए तथा नियमानुसार पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाते हुये ही उपकरणों का क्रय किया जाये।
3. उपकरणों के प्रोपरायटरी होने का निर्धारण किये जाने का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षाण, उ0प्र0 तथा संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य का होगा। क्रय किये जाने वाले उपकरणों की विशिष्टियों के निर्धारण, गुणवत्ता एवं आडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था के प्रधानाचार्य तथा महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की होगी।
4. उपकरणों की गुणवत्ता मानक के अनुसार निर्धारित करते हुये आपूर्ति प्राप्त किये जाने एवं सत्यापन का दायित्व संबंधित प्रधानाचार्य का होगा।
5. उपकरणों के क्रय के उपरान्त विभागीय बजट में प्राविधानित धनराशि का उपभोग प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 को उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. उपकरणों क्रय हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत सुसंगत नियमों व शासनादेशों एवं यू0पी0 प्रोक्योरमेन्ट एण्ड गुड्स मैनुअल, 2016 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. कोविड-19 की आकस्मिकता के दृष्टिगत महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 द्वारा नियमानुसार त्वरित कार्यवाही पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।
8. उक्त स्वीकृत धनराशि से उपकरणों का क्रय नियमानुसार क्रय प्रक्रिया पूर्ण करके किया जाएगा।
9. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
10. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0 अथवा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
11. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाए कि विगत 05 वर्षो में इस प्रकार के उपकरण की क्रयदारी नहीं की गई तथा उपकरण रखने हेतु स्थान संरक्षित एवं संसाधनयुक्त है।
12. प्रश्नगत उपकरणों के क्रय से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उनके स्पेसिफिकेशन सक्षम स्तर से अनुमोदित हो।
13. सुसंगत नियमों और प्राविधानो का पालन करते हुए पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक उपयोगी उपकरण क्रय किये जाय। सभी उपकरणों की विशिष्टियों, गुणवत्ता नियमानुसार युक्तिसंगत दरों का निर्धारण व उसका आडिट कराने आदि की जिम्मेदारी क्रय की जाने वाली संस्था एवं महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ की होगी।
14. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक ''4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-मेडिकल कालेज, आगरा-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-39-गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-40-मेडिकल कालेज, प्रयागराज-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-41-मेडिकल कालेज, मेरठ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-42-मेडिकल कालेज, झॉसी-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-43-मेडिकल कालेज, गोरखपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-54-मेडिकल कालेज, अम्बेडकर नगर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-21-मेडिकल कालेज, बॉदा-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-48-मेडिकल कालेज, बदायूँ-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-55-मेडिकल कालेज, जालौन-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-53-मेडिकल कालेज, सहारनपुर-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-56-मेडिकल कालेज, कन्नौज-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र-51-मेडिकल कालेज, आजमगढ़-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र'' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021] दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-82/2021/611(1)/71-1-2021 तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, अम्बेडकरनगर, बाँदा, बदाँयू, जालौन, सहारनपुर, कन्नौज एवं आजमगढ़।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, अम्बेडकरनगर, बाँदा, बदाँयू, जालौन, सहारनपुर, कन्नौज एवं आजमगढ़।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, झाँसी, अम्बेडकरनगर, बाँदा, बदाँयू, जालौन, सहारनपुर, कन्नौज एवं आजमगढ़।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।